संक्षिप्त

महिला की हत्या कर गहने टूटने का आरोपी गिरफ्तार

बौंली- बामनवास। क्षेत्र के कोडियाई ग्राम के माल में बकरियां चरा रही 65 वर्षीय वृद्ध महिला कमला देवी मीणा की नसंह हत्या कर गहने लूटने की आरोपी रामलाल जोगी उम्र 47 वर्ष निवासी कोडियाई थाना बौंली जिला सवाई माधोपुर को जिला पुलिस की विशेष टीम ने गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है बौंली पुलिस थाने पर आयोजित पत्रकार वार्ता में सवाई माधोपुर पुलिस अधीक्षक अनिल कुमार बेनीवाल ने बताया कि 3 फरवरी को मृतका के पुत्र हंसराज मीणा ने अज्ञात आरोपी के खिलाफ धारदार हथियार से गर्दन व दोनों पैर काटकर निर्मम हत्या कर देने एवं चांदी के कड़े, कानो के कुंडल, गले की चेन लूटने का मामला दर्ज कराया था।

कैंसर इंस्टीटूट का उद्घाटन

जयपुर। कालवाड़ रोड पर स्थित चिरायु अस्पताल में जगद्गुरु निम्बार्काचार्य श्री श्याम शरण देवाचार्य श्री जी महाराज ने रेडिएशन थेरेपी के लिए लेटेस्ट लीनियर मशीन का पूजन कर अत्याधुनिक चिरायु कैंसर इंस्टीट्यूट का उद्घाटन किया अस्पताल प्रबंधन ने महाराज जी के पैर धोकर पूजन किया और चेयरमेन डॉ मनोज चौधरी ने स्वागत किया और डाइरेक्टर मंजू चौधरी और डॉ निक्की पुनिया ने महाराज को शाल ओढ़ाकर भेंट प्रदान की कार्यक्रम संयोजक सर्वेश्वर शर्मा ने बताया कि श्रीजी महाराज ने अपने उद्बोधन में कहा कि सबसे पहले में चिरायु हॉस्पिटल परिवार को शुभकामनाएं प्रदान करता हूँ और बड़े ही हर्ष की बात है कि इन्होंने रेडिएशन के लिए स्वदेशी मशीन लगाई है

चिकित्सा शिविर का समापन

दूदू । नगर पालिका मुख्यालय के एक निजी गार्डन में राष्ट्रीय आयुष मिशन एवं आयुर्वेद विभाग जयपुर ब क्षेत्र के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित 10 दिवसीय निशुल्क अंतरंग अर्श भगंदर क्षार सूत्र शल्य चिकित्सा शिविर का समापन आज किया गया शिविर के दौरान कुल 5388 रोगियों का लाभान्वित किया गया । समापन के अवसर पर उत्कृष्ट करने कार्य करने वाले चिकित्सकों की टीम व कर्मचारियों को प्रशस्ति पत्र एवं स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया गया शिविर समापन पर लाभान्वित हुए रोगियों ने विचार व्यक्त कर बताया कि पाइल्स की बीमारी से कई वर्षों से परेशान चल रहे थे का हमारा यहां सफल ऑपरेशन चिकित्सकों द्वारा किया गया जो क्षेत्र की जनता के लिए आयुर्वेदिक विभाग की और से वरदान साबित होगा।

किशनगढ़ बास में हिंदू सम्मेलन आज

किशनगढ़ बास। विराट हिंन्दू सम्मलेन रविवार को सुबह 11 बजे अलवर रोड दशहरा मैदान पर संत कमल दास महाराज छतरी वाले भिड़ूसी के सानिध्य में आयोजित होगा। इस सम्मेलन में मुख्य वक्ता डॉ मोनिका रस्तोगी होगी। कार्यक्रम के अध्यक्ष मदन लाल गुप्ता ने बताया कि सम्मलेन को लेकर तैयारियां पूर्ण कर ली गई है। शहर विभिन्न अलग अलग मंदिरों से एकत्रित होकर हजारों की तादाद में महिलाएं व पुरुष पैदल मुख्य मार्गों से ध्वज यात्रा लेकर दशहरा मैदान पर पहुंचेंगे।

खोया पाया

मेरे भूखंड संख्या ए-13 नागरिक गृह निर्माण सहकारी समिति लिमिटेड जयपुर से आवंटित भूखंड की जारी मूल रसीद कहीं गुम हो गई है मिलने पर सूचित करें जगदीश-9414460146

नाम परिवर्तन

मैने मेरा नाम माधव टाटीवाला से बदलकर राघव टाटीवाला रख लिया है भविष्य में इसी नाम से जाना, पहचाना जावे निवास 5-बी, लाल निवास, हीरा बाग टोंक रोड जयपुर

I have changed my Name from Mohmmed Husain to Mohammed Hussain for all future purposes. Mohammed Hussain R/o 3844 Maliyon Ki Gali Phuta Khurra Ramganj Bazaar, Jaipur (Raj.)

नम्बर मिलाइए 9587884433

सिर्फ एक फोन कॉल पर विज्ञापन घर बैठे बुक करायें।

विधायक पटेल ने विभिन्न विकास कार्यों का किया लोकार्पण व उद्घाटन

कोटपूतली। क्षेत्रीय विधायक हंसराज पटेल ने शनिवार को ग्राम रघुनाथपुरा एवं पाथरेड़ी में विधायक कोष से निर्मित कुल 01 करोड़ 88 लाख की लागत से किये गये विभिन्न विकास कार्यों का लोकार्पण किया।

इस मौके पर पटेल ने महात्मा गांधी राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में समग्र शिक्षा अभियान एवं विधायक कोष के माध्यम से निर्मित 03 नवीन कक्षा-कक्षों मय बरामदा एवं विधायक कोष से निर्मित राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय के प्रार्थना स्थल पर इंटरलॉकिंग कार्य का विधिवत लोकार्पण किया।

साथ ही राजकीय उप-स्वास्थ्य केंद्र भवन पाथरेड़ी, पंचायत परिसर में चार दीवारी व इंटरलॉकिंग चौक निर्माण तथा विभिन्न स्थानों पर विधायक कोष से निर्मित सी.सी. सड़क निर्माण कार्य का भी लोकार्पण एवं उद्घाटन किया। पटेल ने कहा कि ये सभी विकास कार्य क्षेत्र के समग्र विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य एवं आधारभूत सुविधाओं को सुदृढ़ करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम हैं। विद्यार्थियों को सुव्यवस्थित, सुरक्षित एवं गुणवत्तापूर्ण शैक्षिणक वातावरण प्रदान करना एवं शिक्षा के क्षेत्र में बुनियादी सुविधाओं को सशक्त बनाना हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि आमजन की सुविधाओं को प्राथमिकता देते हुये विकास कार्यों का क्रम निरंतर जारी रहेगा। विधायक पटेल ने कहा कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में प्रदेश निरंतर प्रगति के पथ पर अग्रसर है। हमारी प्रतिबद्धता है कि विकास की रोशनी समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुँचे। इस दौरान पाथरेड़ी सरपंच रामस्वरूप कसाना, पूर्व प्रधान प्रतिनिधि जगन चौधरी, मंडल अध्यक्ष राजवीर यादव, एड. प्रेमप्रकाष शर्मा, विद्यालय स्टॉफ एवं बड़ी संख्या में ग्रामीण मौजूद रहें।

विधायक हंसराज पटेल ने शनिवार को ग्राम रघुनाथपुरा एवं पाथरेड़ी में विभिन्न विकास कार्यों का लोकार्पण किया।

- **आमजन की सुविधाओं को प्राथमिकता देते हुये विकास कार्यों का क्रम निरंतर जारी रहेगा : पटेल**

उपमुख्यमंत्री दिया कुमारी ने पूर्व मंत्री हेमसिंह भड़ाना को दी श्रद्धांजलि

किशनगढ़ बास। शनिवार को राजस्थान की उपमुख्यमंत्री दिया कुमारी ने पूर्व मंत्री स्वर्गीय हेमसिंह भड़ाना के निवास पर पहुंचकर दिवंगत नेता को श्रद्धांजलि अर्पित की। उन्होंने पुष्पांजलि अर्पित कर दिवंगत आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की और उनके सार्वजनिक जीवन व समाजसेवा में दिए गए योगदान को याद किया। श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए उपमुख्यमंत्री ने कहा कि हेमसिंह भड़ाना का जीवन जनसेवा, सामाजिक सरोकारों और क्षेत्रीय विकास के प्रति समर्पित रहा। उन्होंने अपने कार्यकाल में आमजन के हितों को सर्वोच्च प्राथमिकता दी, जिसकी छाप आज भी क्षेत्र में दिखाई देती है। उनका व्यक्तित्व और कार्यशैली सदैव प्रेरणादायक रहेगी। उपमुख्यमंत्री ने शोक संतप्त परिवार के सदस्यों से मुलाकात कर गहरी संवेदना व्यक्त की। उन्होंने ईश्वर से प्रार्थना करते हुए कहा कि दिवंगत आत्मा को शांति प्रदान करें तथा परिजनों को इस दुख की घड़ी में संबल दें। उन्होंने कहा कि यह क्षित अपूरणीय है, लेकिन पूरा प्रदेश परिवार के साथ खड़ा है। इस दौरान उपस्थित जनप्रतिनिधियों, सामाजिक कार्यकर्ताओं एवं गणमान्य नागरिकों ने भी स्वर्गीय भड़ाना को श्रद्धांजलि अर्पित की और उनके द्वारा किए गए विकास कार्यों व जनसेवा को स्मरण किया। सभी ने उन्हें सरल, मिलनसार और जनहितैषी नेता बताते हुए उनके योगदान को सदैव याद रखने की बात कही।

किशनगढ़ बास के गांव बघेरी कला निवास पहुंचकर उपमुख्यमंत्री दिया कुमारी ने श्रद्धांजलि अर्पित की।

बेंगलुरु कॉर्पोरेशन चुनाव को लेकर बैठक में जीत का लिया संकल्प

बेंगलुरु/जयपुर। भाजपा कर्नाटक प्रदेश कार्यालय बेंगलुरु में ग्रेटर बेंगलुरु कॉर्पोरेशन चुनाव को लेकर संगठनात्मक बैठक आयोजित हुई।

बैठक में कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा, चुनाव प्रभारी राम माधव, कर्नाटक भाजपा प्रदेश अध्यक्ष विजेंद्र येदियुरप्पा, भाजपा हरियाणा प्रभारी एवं बेंगलुरु कॉर्पोरेशन चुनाव के सह प्रभारी डॉ. सतीश पूनियां, चुनाव सह प्रभारी संजय उपाध्याय, कर्नाटक विधानसभा नेता प्रतिपक्ष आर अशोका, विधान परिषद नेता प्रतिपक्ष चलावडी नारायणस्वामी इत्यादि सहित प्रमुख नेताओं ने संबोधित कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार की जनकल्याणकारी नीतियों के समर्थन में बेंगलुरु कॉर्पोरेशन चुनाव जीतने का आव्हान किया।

भाजपा कर्नाटक प्रदेश कार्यालय बेंगलुरु में ग्रेटर बेंगलुरु कॉर्पोरेशन चुनाव को लेकर संगठनात्मक बैठक आयोजित हुई।

- **सांसद, विधायक, पार्टी पदाधिकारी, वरिष्ठ नेता, पूर्व कॉरपोरेटर, सोशल मीडिया पदाधिकारी एवं प्रमुख कार्यकर्ताओं के साथ की बैठक**
- **बैठक में पूर्व मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा, राम माधव, विजेंद्र येदियुरप्पा, डॉ. सतीश पूनियां, संजय उपाध्याय, आर अशोका, चलावडी ने किया संबोधित**

भाजपा कर्नाटक प्रदेश कार्यालय में आयोजित संगठनात्मक बैठक में सांसद, विधायक, पार्टी पदाधिकारी, वरिष्ठ नेता, पूर्व कॉरपोरेटर, सोशल मीडिया पदाधिकारी एवं प्रमुख कार्यकर्ताओं के साथ विस्तृत चर्चा कर मोदी सरकार की जनकल्याणकारी नीतियों को जन-जन तक पहुंचाने एवं बेंगलुरु कॉर्पोरेशन चुनाव में भाजपा की जीत के लिये संकल्प लिया।

बावड़ी धाम से लुनियावास के लिए बाबा बालनाथ जी महाराज की भव्य पदयात्रा रवाना

पावटा। आस्था, श्रद्धा और भक्ति के अद्भुत संगम के साथ बावड़ी धाम पावटा से लुनियावास जयपुर के लिए बाबा बालनाथ महाराज एवं बस्तीनाथ महाराज की भव्य एवं ऐतिहासिक पदयात्रा विधिवत रूप से रवाना हुई।

- **जयकारों से गूंजा क्षेत्र, उमड़ा जनसैलाब**

पदयात्रा के शुभारंभ के साथ ही संपूर्ण क्षेत्र बाबा बालनाथ महाराज की जय एवं बस्तीनाथ महाराज अमर रहें के गगनभेदी जयकारों से गुंजायमान हो उठा। हजारों श्रद्धालुओं की भारी भीड़ ने इस धार्मिक यात्रा को विशाल जनआस्था का प्रतीक बना दिया।

यह विशाल पदयात्रा बाबा बस्तीनाथ महाराज के पावन सान्निध्य एवं मार्गदर्शन में संपन्न हो रही है। उनके निर्देशन में श्रद्धालु अनुशासन, सेवा भावना और भक्तिभाव के साथ पदयात्रा में भाग ले रहे हैं। यात्रा मार्ग पर जगह-जगह श्रद्धालुओं द्वारा पुष्पवर्षा कर पदयात्रियों का भव्य स्वागत किया गया।

महिलाओं, युवाओं, बुजुर्गों एवं बच्चों की उत्साहपूर्ण सहभागिता ने इस पदयात्रा को ऐतिहासिक एवं अविस्मरणीय स्वरूप प्रदान किया। पदयात्रा के दौरान भजन-कीर्तन, धार्मिक ध्वज, ढोल-नगाड़ों की गूंज और भक्तों के जयकारों से वातावरण पूर्णतः भक्तिमय बना रहा। श्रद्धालु नाचते-गाते और बाबा के जयकारे लगाते हुए अपनी आस्था प्रकट करते नजर आए। यह पदयात्रा केवल धार्मिक आयोजन नहीं बल्कि सामाजिक समरसता, भाईचारे, संस्कृति एवं परंपराओं को मजबूत करने का सशक्त संदेश भी दे रही है।पूर्व सरपंच मदन यादव ने कहा कि बाबा बालनाथ महाराज एवं बस्तीनाथ महाराज की असीम कृपा से श्रद्धालुओं के जीवन में सुख, समृद्धि और सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। उन्होंने कहा कि ऐसी धार्मिक यात्राएं समाज में एकता और आध्यात्मिक चेतना को मजबूत करती हैं। पदयात्रियों की सेवा के लिए डॉ. सुरेन्द्र यादव सहित विभिन्न भक्त मंडलियों द्वारा जल, फलाहार, प्राथमिक चिकित्सा एवं विश्राम की उत्कृष्ट व्यवस्थाएं की गईं।

बालनाथ महाराज एवं बस्तीनाथ महाराज की भव्य एवं ऐतिहासिक पदयात्रा विधिवत रूप से रवाना हुई।

आम सूचना सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि भागीदारी फर्म M/s RD Derewala Industries, एच 2163, इण्डस्ट्रीयल एरिया, रामचन्द्रपुरा, सीतापुरा एक्सटेंशन, जयपुर पंजीयन संख्या 13/1789/2014 दिनांक 17.11.2025 से भागीदारी श्रीमति गोविन्दी देवी गर्ग, पत्नि श्री नन्द लाल जी गर्ग, श्रीमति अंजली गर्ग पत्नि श्री कृष्ण मुरारी जी गर्ग, श्रीमती अन्नु गर्ग पत्नि श्री विष्णु गर्ग रिटायर हो गये है यदि किसी को आपत्ति हो तो 07 दिवस में रजिस्ट्रार ऑफ फर्म्स जिला उद्योग केन्द्र, जयपुर (शहर) में आपत्ति दर्ज करावें ।

M/s RD Derewala Industries

राजस्थान आवासन मण्डल
वृत-तृतीय, जे0एल0एन0 मार्ग,
जवाहर सर्किल के पास, जयपुर -0141-4901853
क्रमांक-437 दिनांक-06/02/26

आम जाहिर सूचना

राजस्थान आवासन मण्डल जयपुर आवास संख्या 6/घ/8 जवाहर नगर, जयपुर, क्षेत्रफल 98.00 वर्ग गज का आवंटन श्री चन्द्रभान पुत्र श्री गणेश दास को किया गया था। जिसका आवंटन पत्र क्रमांक 543 दिनांक 03/01/1975 जारी किया गया था। उनके द्वारा आवास के पंजीयन प्रपत्रो का निष्पादन कार्यालय उप पंजीयक, जयपुर प्रथम मे दिनांक 12/03/1991 को करवाया गया।
आवास के मूल आवंटी श्री चन्द्रभान की मृत्यु दिनांक 17.10.2001 को हो जाने के कारण श्री मनोज अरोड़ा एवं श्री विनोद कुमार अरोड़ा पुत्रान् स्व. श्री चन्द्रभान अरोड़ा के द्वारा आवेदन पत्र के साथ उनका प्रशासनिक शुल्क की छायाप्रति, शपथ पत्र, क्षितपूर्ति बन्धक पत्र एवं रजिस्टर्ड हक्तत्याग की छाया प्रति प्रस्तुत कर उक्त आवास का प्रतिस्थापन अपने संयुक्त नाम से करने का निवेदन किया गया है।
अतः उक्त आवास के प्रतिस्थापन के संबंध मे किसी भी व्यक्ति/बैंक / संस्था को कोई आपत्ति हो तो विज्ञिप्त प्रकाशन के 07 दिवस मे अधोहस्ताक्षरकर्ता के कार्यालय मे व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर साक्ष्य सहित अपनी आपत्ति प्रस्तुत कर देवें, अन्यथा उक्त अवधि मे कोई आपत्ति प्राप्त नही होने पर उक्त आवेदनकर्ता श्री मनोज अरोड़ा एवं श्री विनोद कुमार अरोड़ा पुत्रान् स्व. श्री चन्द्रभात अरोड़ा के पक्ष मे आवास के प्रतिस्थापन की कार्यवाही करदी जावेगी।

सम्पदा प्रबंधक, वृत तृतीय, रा0आ0मण्डल, जयपुर

प्रपत्र संख्या 7
(देखिये नियम 21)
कार्यालय सहायक आयुक्त (प्रथम) देवस्थान विभाग, जयपुर
राजस्थान सार्वजनिक प्रन्यास अधिनियम 1959 की धारा 18 (2) के अधीन नोटिस
समस्त सम्बन्धित व्यक्तियों को

मुकदमा नम्बर DEV/JAIPUR-I/TRUST/2026/1349
चूंकि प्रार्थी श्री RATNA KUMARI, RAGHUKUL MODEL TOWN-A, JAGATPURA ROAD, MALVIYA NAGAR, JAIPUR, RAJASTHAN ने राजस्थान सार्वजनिक प्रन्यास अधिनियम 1959 की धारा 17 (1) के अन्तर्गत प्रन्यास रघुकुल शोध एवं तकनीकी संस्थान RAGHUKUL MODEL TOWN-A, JAGATPURA ROAD, MALVIYA NAGAR, JAIPUR, RAJASTHAN के सम्बन्ध में अग्रिम जांच किये जाने के लिए आवेदन-पत्र दिया है।
अतएव धारा 18 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में उपर्युक्त प्रन्यास जिसकी जांच की जा रही है, में हित रखने वाले समस्त व्यक्तियों के नाम, व्यापक जानकारी के लिए, यह नोटिस प्रकाशित किया जाता है कि वे इस नोटिस के जारी होने की तारीख से साठ दिन के भीतर उक्त प्रन्यास के सम्बन्ध में आपत्तियां, यदि कोई हो प्रस्तुत करे।
और यह सूचित किया जाता है कि यदि उपरोक्त निर्दिष्ट अवधि के भीतर कोई आपत्तियां नहीं की गई तो उक्त आवेदन-पत्र निर्धारित रीति से निर्णित किया जावेगा तथा जांच प्रसित मामले में निष्कर्ष अभिलिखित किया जावेगा।
आज दिनांक 05.02.2026 को मेरे हस्ताक्षर तथा कार्यालय मोहर के अधीन जारी किया गया।
आइदा तारीख पेशी 15.04.2026
मोहर अदालत — सहायक आयुक्त, देवस्थान विभाग, जयपुर-प्रथम

परिशिष्ठ G-अपील, निर्देश व पुनर्विलोकन, संख्यांक 6
न्यायालय : अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश-3, जयपुर जिला जयपुर, (राजस्थान) पीठासीन अधिकारी का नामः श्री राजेंद्र सिंह जाटव
अपील की सुनवाई के लिए नियम दिन की प्रत्यर्थी को सूचना (आदेश 41 का नियम 14)
विविध सिविल अपील/233/2025 गंगासहाय व अन्य बनाम रामजीलाल व अन्य
NEXT DATE: 13-02-2026
के न्यायालय की तारीख को संख्यांक वाद में पारित डिक्री की अपील।
प्रेषिती-**राजकुमार पुत्र बंशीधर मीना प्लॉट नंबर बी-21, योजना श्री राम विहार, मीनावाला, सिरसी रोड, जयपुर, राजस्थान**
आपको सूचना दी जाती है कि इस मामले में की डिक्री की अपील गंगासहाय व अन्य द्वारा उपस्थापित की गई है और इस न्यायालय में रजिस्टर कर ली गई हैं और इस अपील की सुनवाई के लिए इस न्यायालय द्वारा ता0 13-02-2026 नियत की गई है।
यदि इस अपील में आपकी ओर से आप स्वयं या आपके प्लीडर या आपके लिए कार्य करने के लिए विधिना प्राधिकृत कोई व्यक्ति उपसंजात नहीं होगा तो यह आपकी अनुपस्थिति में सुनी और विनिश्चित की जाएगी।
यह आज ता0 29-01-2026 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।
मोहर अदालत — आज्ञा से-वरिष्ठ रीडर, अपर जिला एवं सैशन न्यायाधीश क्रम संख्या-03, जयपुर महानगर-।।

कार्यालय उपायुक्त हवामहल-आमेर जोन नगर निगम जयपुर
(चौगान स्टेडियम के पास, गणगौरी बाजार, जयपुर)
Email ID: dchmw.jmc@gmail.com, Phone No. 0141-2329953
क्रमांक-F51()Dept. Comm./H.M.A.Z./2026/2049
सार्वजनिक सूचना दिनांक-6/2/26
सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि श्रीमती सुनीता नागपाल पत्नी श्री राजेन्द्र कुमार नागपाल निवासी भूखण्ड संख्या 672 डी, नागपाल पैट्रोल पम्प आमेर रोड जयपुर द्वारा भूखण्ड संख्या- 672 डी, नागपाल पैट्रोल पम्प आमेर रोड जयपुर जिसका क्षेत्रफल 839.81 वर्गमीटर है का धारा 69-क का पट्टा चाहने हेतु आवेदन किया गया है। जिसमे आवेदक द्वारा आवेदन-पत्र, शपथ-पत्र, विक्रय पत्र, नक्शे की प्रति, एवं अन्य स्वामित्व संबंधित दस्तावेज प्रस्तुत किए गए है। अतः उक्त के संबंध में किसी व्यक्ति / सरकारी / गैर सरकारी संस्था या अन्य को कोई आपत्ति हो तो 07 दिवस में अधोहस्ताक्षरकर्ता को लिखित में सूचित करें। मियाद गुजरने के बाद कोई आपत्ति मान्य नही होगी।
उपायुक्त, हवामहल-आमेर जोन, नगर निगम जयपुर

प्रपत्र संख्या 7
(देखिये नियम 21)
कार्यालय सहायक आयुक्त (प्रथम) देवस्थान विभाग, जयपुर
राजस्थान सार्वजनिक प्रन्यास अधिनियम 1959 की धारा 18 (2) के अधीन नोटिस
समस्त सम्बन्धित व्यक्तियों को

मुकदमा नम्बर DEV/JAIPUR-I/TRUST/2026/1316
चूंकि प्रार्थी श्री DHARMPAL, 2/69 T 1 APPLE RESIDENCY VAISHALI NAGAR JAIPUR ने राजस्थान सार्वजनिक प्रन्यास अधिनियम 1959 की धारा 17 (1) के अन्तर्गत प्रन्यास श्री गुरू जम्भेश्वर सेवा संस्थान 26 KRISHNA COLONY KHATIPURA ROAD JHARKHAND MODE KHATIPURA JAIPUR के सम्बन्ध में अग्रिम जांच किये जाने के लिए आवेदन-पत्र दिया है।
अतएव धारा 18 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में उपर्युक्त प्रन्यास जिसकी जांच की जा रही है, में हित रखने वाले समस्त व्यक्तियों के नाम, व्यापक जानकारी के लिए, यह नोटिस प्रकाशित किया जाता है कि वे इस नोटिस के जारी होने की तारीख से साठ दिन के भीतर उक्त प्रन्यास के सम्बन्ध में आपत्तियां, यदि कोई हो प्रस्तुत करे।
और यह सूचित किया जाता है कि यदि उपरोक्त निर्दिष्ट अवधि के भीतर कोई आपत्तियां नहीं की गई तो उक्त आवेदन-पत्र निर्धारित रीति से निर्णित किया जावेगा तथा जांच प्रसित मामले में निष्कर्ष अभिलिखित किया जावेगा।
आज दिनांक 04.02.2026 को मेरे हस्ताक्षर तथा कार्यालय मोहर के अधीन जारी किया गया।
आइदा तारीख पेशी 13.04.2026
मोहर अदालत — सहायक आयुक्त, देवस्थान विभाग, जयपुर-प्रथम

प्रपत्र संख्या 7
(देखिये नियम 21)
कार्यालय सहायक आयुक्त (प्रथम) देवस्थान विभाग, जयपुर
राजस्थान सार्वजनिक प्रन्यास अधिनियम 1959 की धारा 18 (2) के अधीन नोटिस
समस्त सम्बन्धित व्यक्तियों को

मुकदमा नम्बर DEV/JAIPUR-I/TRUST/2026/1304
चूंकि प्रार्थी श्री DHARAMVEER SINGH KATEWA, A-3/302, JEEVAN ANAND APARTMENT, SECTOR 2, VIDYADHAR NAGAR JAIPUR ने राजस्थान सार्वजनिक प्रन्यास अधिनियम 1959 की धारा 17 (1) के अन्तर्गत प्रन्यास राजस्थान राज्य गाँधी स्मारक निधी B190, UNIVERSITY MARG BAPU NAGAR JAIPUR के सम्बन्ध में अग्रिम जांच किये जाने के लिए आवेदन-पत्र दिया है।
अतएव धारा 18 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में उपर्युक्त प्रन्यास जिसकी जांच की जा रही है, में हित रखने वाले समस्त व्यक्तियों के नाम, व्यापक जानकारी के लिए, यह नोटिस प्रकाशित किया जाता है कि वे इस नोटिस के जारी होने की तारीख से साठ दिन के भीतर उक्त प्रन्यास के सम्बन्ध में आपत्तियां, यदि कोई हो प्रस्तुत करे।
और यह सूचित किया जाता है कि यदि उपरोक्त निर्दिष्ट अवधि के भीतर कोई आपत्तियां नहीं की गई तो उक्त आवेदन-पत्र निर्धारित रीति से निर्णित किया जावेगा तथा जांच प्रसित मामले में निष्कर्ष अभिलिखित किया जावेगा।
आज दिनांक 04.02.2026 को मेरे हस्ताक्षर तथा कार्यालय मोहर के अधीन जारी किया गया।
आइदा तारीख पेशी 13.04.2026
मोहर अदालत — सहायक आयुक्त, देवस्थान विभाग, जयपुर-प्रथम

उद्घोषणा (इश्तिहार) न्यायालय (राज.)
व्यवहार मिश्रित (मुत्तफरिक) वाद सं. 2257/2026
विषय- उत्तराधिकार प्रमाण-पत्र प्रोबेट, लेटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन प्राप्त करने हेतु प्रार्थना-पत्र।
प्रार्थी नाम 1. श्रीमती आशा अरोडा पत्नि स्व.आनन्द कुमार शर्मा, प्लाट नं.डी-261, महेश मार्ग, मालवीय नगर, जयपुर, 2. श्रीमती रश्मी शर्मा पत्नि डेनवेन सेनटेन पुत्री स्व.आनन्द कुमार शर्मा निवासी प्लाट नं.डी-261, महेश मार्ग, मालवीय नगर, जयपुर
मृतक स्व.आनन्द कुमार शर्मा की सम्पत्ति के विषय में।
पेशी दिनांक- 17.03.2026
सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि उपरोक्त प्रार्थी/प्रार्थीगण ने इस न्यायालय में इस आशय का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है कि मृतक, नाम आनन्द कुमार शर्मा पुत्र रामशरण दास शर्मा जाति.... निवासी डी-398, पंचवटी भीलवाडा राज., प्लाट नं.डी-261, महेश मार्ग, मालवीय नगर, जयपुर का उत्तराधिकारी स्वीकार कर उसके पक्ष में उत्तराधिकार प्रमाण पत्र, प्रोबेट, लेटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, प्रदान किया जावें।
अतः उक्त प्रार्थना-पत्र की स्वीकृति में यदि किसी व्यक्ति को कोई आपत्ति हो तो वह इस न्यायालय में दिनांक 17 माह 03 सन् 2026 को न्यायालय में उपस्थित होकर अपनी आपत्ति प्रमाण सहित प्रस्तुत करें। उक्त दिवस के पश्चात् कोई आपत्ति मान्य नहीं होगी।
आज दिनांक 30 माह 01 सन् 2026 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय मुद्रांकन से जारी किया गया।
प्रार्थीगण ने मृतक आनन्द कुमार शर्मा के नाम प्रा.पत्र में वर्णित बैंक खाते में जमा राशि बावत उत्तराधिकार प्रमाण पत्र चाहा है।
मोहर अदालत — आज्ञा न्यायालय से-वरिष्ठ मुंसरिम, जिला एवं सैशन न्यायालय जयपुर महानगर-प्रथम

हैतुक दर्शित करने के लिए सूचना (साधारण प्रारूप)
व्यवहार प्रक्रिया संहित पहली अनुसूची संख्यांक 4
न्यायालय FC-5 Jaipur Metro Jaipur स्थान...
पूजा नामा विरूद्ध सुनील उदयवाल सन्नी
वाद/प्रार्थना पत्र 144 BNSS
प्रार्थना-पत्र संख्या 15/2024 सन्
नाम सुनील उदयवाल सन्नी पुत्र दीपक उदयवाल जाति... पता प्लाट नं. 14-15, महावीर नगर, गोपालपुरा फ्लाई ओवर के पास, जयपुर (राज.)
उक्त प्रार्थीया ने इस न्यायालय में यह आवेदन किया है कि नकल संलग्न है।
अतः आपको चेतावनी दी जाती है कि आप उस आवेदन के विरूद्ध हैतुक दर्शित करने के लिए दिनांक 16 माह 03 सन् 2026 को 10.30 ए.एम. पूर्वान्ह में स्वयं या अपने प्लीडर द्वारा जिसे सम्यक रूप से अनुदेश किया गया हो, उपसंजात हो। यदि आप ऐसा करने में असफल रहेंगे तो उक्त आदेश की सुनवाई और उसका निपटारा एक पक्षीय रूप से किया जाएगा।
यह आज दिनांक 05 माह 02 सन् 2026 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।
मोहर अदालत — वरिष्ठ मुंसरिम, पारिवारिक न्यायालय क्रम-5, जयपुर महानगर प्रथम

कार्यालय कृषि उपज मण्डी समिति, (अनाज), चौमूँ (जयपुर)
क्रमांक-436-45 **निविदा सुचना** दिनांक-5/2/2026
सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि इस मंडी समिति में निम्नलिखित व्यवस्थायें / कार्य करवाने हेतु ठेके देने के लिये इच्छुक निविदादाता फर्मों / व्यक्तियों से दिनांक 18.02.2026 को प्रातः 11.30 बजे तक निर्धारित निविदा प्रपत्र में बन्द लिफाफे में निविदायें आमंत्रित की जाती है।

क्र. सं.	कार्य / व्यवस्था का नाम	ठेके की अवधि	कार्य की अनुमानित लागत (लाख रू. में)
1	लेखन मुद्रण कार्यालय एंव लेखन मुद्रण व्यापारी	एक वर्ष	5.00
2	विद्युत संबंधी सामग्री व्यवस्था	एक वर्ष	5.00

प्राप्त निविदाओं को उसी दिन दोपहर 2.00 बजे उपस्थित निविदादाताओं (यदि कोई उपस्थित हों) के समक्ष खोला जायेगा। निविदा से सम्बंधित अन्य विस्तृत विवरण, निविदा शर्तें व जानकारी www.sppp.rajasthan.gov.in एवं विभागीय वेबसाईट www.mandi.agriculture.rajasthan.gov.in पर तथा किसी भी कार्य दिवस में कार्यालय समय में कार्यालय में उपस्थित होकर अवलोकन की जा सकती है।
सचिव-कृषि उपज मण्डी समिति (अनाज) चौमूं जयपुर

प्रपत्र संख्या 7
(देखिये नियम 21)
कार्यालय सहायक आयुक्त (प्रथम) देवस्थान विभाग, जयपुर
राजस्थान सार्वजनिक प्रन्यास अधिनियम 1959 की धारा 18 (2) के अधीन नोटिस
समस्त सम्बन्धित व्यक्तियों को

मुकदमा नम्बर DEV/JAIPUR-I/TRUST/2026/1311
चूंकि प्रार्थी श्री RAMA NAND MODI, P. NO. 610, SECTOR-1, VIDHYADHAR NAGAR, JAIPUR ने राजस्थान सार्वजनिक प्रन्यास अधिनियम 1959 की धारा 17 (1) के अन्तर्गत प्रन्यास अग्रसेन मेडिकल रिलीफ एंड रिसर्च सोसायटी AGRASEN HOSPITAL MARG, CENTRAL SPINE, SECTOR-7, VIDHYADHAR NAGAR, JAIPUR के सम्बन्ध में अग्रिम जांच किये जाने के लिए आवेदन-पत्र दिया है।
अतएव धारा 18 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में उपर्युक्त प्रन्यास जिसकी जांच की जा रही है, में हित रखने वाले समस्त व्यक्तियों के नाम, व्यापक जानकारी के लिए, यह नोटिस प्रकाशित किया जाता है कि वे इस नोटिस के जारी होने की तारीख से साठ दिन के भीतर उक्त प्रन्यास के सम्बन्ध में आपत्तियां, यदि कोई हो प्रस्तुत करे।
और यह सूचित किया जाता है कि यदि उपरोक्त निर्दिष्ट अवधि के भीतर कोई आपत्तियां नहीं की गई तो उक्त आवेदन-पत्र निर्धारित रीति से निर्णित किया जावेगा तथा जांच प्रसित मामले में निष्कर्ष अभिलिखित किया जावेगा।
आज दिनांक 04.02.2026 को मेरे हस्ताक्षर तथा कार्यालय मोहर के अधीन जारी किया गया।
आइदा तारीख पेशी 13.04.2026
मोहर अदालत — सहायक आयुक्त, देवस्थान विभाग, जयपुर-प्रथम

प्रपत्र संख्या 7
(देखिये नियम 21)
कार्यालय सहायक आयुक्त (प्रथम) देवस्थान विभाग, जयपुर
राजस्थान सार्वजनिक प्रन्यास अधिनियम 1959 की धारा 18 (2) के अधीन नोटिस
समस्त सम्बन्धित व्यक्तियों को

मुकदमा नम्